

बिहार विधान सभा के लिए ध्यानाकर्षण सूचना

श्री अखतरूल ईमान, श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार, श्री अम्बिका सिंह, श्री जावेद इकबाल अंसारी एवं श्री भाई वीरेन्द्र, मा0 स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना सं0-30/2013 के उत्तर के संबंध में

श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना

ध्यानाकर्षण सूचना

उत्तर

“ वर्ष 1980 के बाद पहली बार चालू माह जुलाई के दूसरे सप्ताह में किशनगंज जिला में आए प्रलयकारी बाढ़ एवं भारी वर्षा के कारण व्यापक पैमाने पर जान-माल की क्षति हुई है । इस बाढ़ में 6 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए । 500 से अधिक बस्तियों में बाढ़ का पानी घुस गया, सैकड़ों पक्की सड़कें एवं पुल कलभट क्षतिग्रस्त हो गए । हजारों टन मक्का की फसल सड़ गई । 50 हजार हेक्टेयर से अधिक धान की खेती नष्ट हो गई । बाढ़ के पानी में डूबकर 7 लोगों की मृत्यु हो गई । प्रभावित लोग 6-7 दिनों तक ऊंचे स्थलों, स्कूल एवं सड़कों पर शरण लिए रहे । लेकिन प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्य नहीं किया गया बल्कि पलैश फ्लड का बहाना कर राहत वितरण कार्य से बचते रहे ।

अस्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत जुलाई 2013 के दूसरे सप्ताह में (दिनांक -09.07.2013 से 12.07.2013 तक) लगातार भीषण वर्षा के कारण नदियों में जल स्तर में वृद्धि होने के फलस्वरूप बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई थी । जिससे कुल पंचायत 100 (28 पूर्ण एवं 72 आंशिक), गाँव -557 (226 पूर्ण एवं 331 आंशिक) कुल जनसंख्या -251042 प्रभावित हुई थी, जिसके कारण आंशिक तौर पर सड़क एवं पुल कलभट क्षतिग्रस्त हुए हैं ।

जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इस जिले के अन्तर्गत बाढ़ से फसलों की क्षति शून्य प्रतिवेदित की गई है ।

अंचल अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इस जिले के अन्तर्गत बाढ़ के दौरान कुल 05(पाँच) व्यक्तियों के डूबकर मृत्यु होने की सूचना दी गई थी । उक्त मृतकों में से 03(तीन) मृतक के आश्रितों /परिजनों व साहाय्य मानदर के अनुसार प्रति मृतक के आश्रितों /परिजनों के साहाय्य मानदर के अनुसार प्रति मृतक रू0 1,50,000.00 की दर से कुल मो0 -45000.00 रू0 का भुगतान दिनांक -15.07.2013 को किया जा चुका है । शेष दो मृतक में से एक मृतक का पोस्टमार्टम नहीं किये जाने तथा एक व्यक्ति के लापता होने के कारण अनुग्रह अनुदान का भुगतान नहीं किया जा सका है ।

इसके अतिरिक्त बाढ़ पीड़ित परिवार के ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए व्यक्तियों को भी बाढ़ राहत सूखा राशन उपलब्ध कराया गया है । इसके अतिरिक्त इस जिलान्तर्गत कुल 16 (सोलह) राहत कैम्पों की स्थापना की गई थी, जिसमें कुल 4831 व्यक्तियों शरण लिये हुए थे । राहत कैम्पों में शरण लिये व्यक्तियों को तैयार भोजन की आपूर्ति की गई थी । ज्यों-ज्यों पानी घटता गया राहत कैम्पों से प्रभावित परिवार अपने-अपने घरों में वापस हो गये । तत्पश्चात राहत कैम्प बंद कर दिये गए ।

अतः किशनगंज जिला को बाढ़ प्रभावित घोषित करने, सभी पीड़ितों को आपदा के तहत तत्काल एक क्विंटल अनाज अनाज एवं 1500 रु० देने, क्षतिग्रस्त सड़कों / पुलों के मरम्मतिकरण, किसानों के फसलों का मुआवजा एवं उनके ऋण की माफी हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।”

संबंधित अंचल अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इस जिला में Flash Flood के रूप में बाढ़ आयी थी और तीन -चार दिनों के अन्दर बाढ़ का पानी निकल गया था । उक्त परिपेक्ष्य में किसी अंचल में राहत वितरण की आवश्यकता नहीं थी ।

बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों / पुलों के मरम्मतिकरण संबंधित कार्य किया गया है (यथा-पथ निर्माण विभाग के द्वारा 05 पथों, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल-0 -II के द्वारा -08, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल-I के द्वारा -26, जल निस्सरण विभाग द्वारा कुल -11 स्थलों पर निरोधात्मक कार्य किया गया है ।) शेष अन्य स्थलों पर मरम्मतिकरण का कार्य जारी है ।

जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार बाढ़ प्रभावित रकवा में बाढ़ का पानी उतरने के बाद ऊँची भूमि की फसल सामान्य हो गई है । मध्यम जमीन के खेतों में आंशिक क्षति को उपलब्ध बिचरा से रोपनी एवं नीची जमीन में खरवन विधि से रोपनी की गई है । तदनुसार फसलों का मुआवजा एवं ऋण माफी की आवश्यकता नहीं है ।

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04 / वि०स०ध्या०-120 / 2013 / / आ०प्र०, पटना-15, दि०-

प्रतिलिपि -अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को उनके ज्ञापांक -1448 दि०-22.08.2013 के क्रम में 04 (चार) प्रतियों में / उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(विपिन कुमार राय)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक -04 / वि०स०ध्या०-120 / 2013 / / आ०प्र०, पटना-15, दि०-

प्रतिलिपि - सुश्री कविता कुमारी, आई०टी० मैनेजर, आ०प्र० विभाग को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी